न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री,
RAS

प्रकरण संख्या –74/2021
दायर दिनांक– 18.02.2021

1. श्री पुखराज सरूपरिया पिता श्री चांदमल महाजन उम्र–60 वर्ष निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
2. श्री पियुष सरूपरिया पिता श्री पुखराज सरूपरिया उम्र–36 वर्ष निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

.....अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
2. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

..... रेस्पोंडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.06.2020 पारित द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ बसिलसिले मुकदमा नं0 11/2020

उपस्थितः–

1. श्री नरेश जणवा, अधिवक्ता वास्ते अपीलाण्ट ।
2. राजकीय अधिवक्ता, वास्ते रेस्पोंडेण्ट ।

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 14.07.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर के यहां तहसीलदार भदेसर द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती हेतु एक आवेदन दिनांक 02.06.2020 को पेश कर निवेदन किया कि सेटलमेंट से पूर्व के आराजी नं. 159 रकबा 1 बीघा 5 बिश्वा राजकीय आवास (राजस्व विभाग) के नाम दर्ज थी तथा आराजी नं0 159/2 रकबा 1 बीघा बिलानाम दर्ज रेकर्ड थी। सेटलमेंट के बाद रेकर्ड में साबिक आराजी नं0 159 के नवीन आराजी नं0 194 व 196 कुल 2 रकबा 0.27 हैक्टेयर राजकीय आवास राजस्व विभाग के दर्ज दर्ज की गयी तथा आराजी नं0 159/2 के नवीन आराजी नं0 195 बने, बिलानाम आबादी दर्ज है । सेटलमेंट बाद के नक्शे में जहां पूर्व में आराजी नं0 159 राजकीय आवास राजस्व विभाग के नाम थी, वहां नवीन नक्शे में आराजी नं0 195 राजकीय बिलानाम आबादी भूमि दर्ज हो गयी एवं भूमि सेटलमेंट पूर्व आराजी नं0 159/2 आबादी भूमि थी, उसे नवीन आराजी नं0 194 एवं 196 राजकीय आवास राजस्व विभाग के नाम दर्ज कर दी गयी । उपरोक्त वर्णन करते हुए तहसीलदार द्वारा वर्णित किया गया कि नक्शे में जो त्रुटि की गयी है उसे साबिक सेटलमेंट के अनुसार दुरूस्त किया जावें तथा

अपीलाण्ट पुखराज पिता चांदमल द्वारा नवीन आराजी नं0 195 पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो भूमि वास्तव में राजस्व विभाग की है, उसे रोका जाना भी वांछनीय है ।

अधीनस्थ न्यायालय में उक्त आवेदन दिनांक 30.05.2020 को प्रस्तुत होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 11 पर पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित कर दिया– **''यथा प्रस्तावित अनुसार अनुमोदन किया जाता है, तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।''** यह आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2020 को पारित कर दिया गया तथा इस आदेश के अनुक्रम में अपील पत्रावली के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को दिनांक 26.06.2020 को अपने पत्रांक–760 से आराजी नं0 195 रकबा 0.27 हैक्टेयर पर निर्माण कार्य को तत्काल बंद करने व सामग्री को वहां से हटा लेने व नवीन संरचना निर्माण करवाने के आरोप में उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का निर्देश/नोटिस भी जारी किया । अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक 22.06.2020 से रूष्ठ होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2020 को पेश की । अपील के साथ दफा 96 जा0दी0 का आवेदन भी पेश किया ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी व उभय पक्षों की बहस सुनी गयी । दौराने बहस वकील अपीलाण्ट द्वारा अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए उसके द्वारा आबादी भूमि में विधिवत् निर्माण कार्य किये जाने व आबादी की भूमि पर ही निर्माण कार्य करने व बिना सुनवाई के निर्णय पारित करने के तथ्यों को दोहराया, वहीं राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की ।

सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट के दफा 96 जा0 दी0 के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते हैं । यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्णित वाद में अपीलाण्ट को उक्त भूमि पर निर्माण/अतिक्रमण करने का दोषी तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माना गया है । अपीलाण्ट के पास आबादी भूमि के पट्टे उपलब्ध है, अतएवं प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार प्रकट आता है । अतः उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है, वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय ने जिसके विरूद्ध निर्णय पारित किया है, उसे सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया है ।

अब हम प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन करने, बहस व रेकर्ड को देखने से यह प्रकट आता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया है बल्कि पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट पर यथा प्रस्तावित वर्णित करते हुए दो लाइनों में अपना निर्णय पारित किया है जबकि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरणों में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देना वांछनीय है । इस प्रकरण में अपीलाण्ट ने इस न्यायालय में अपने पट्टे प्रस्तुत किये हैं तथा यह स्पष्ट है कि विवाद राजस्व विभाग की भूमि एवं आबादी भूमि के सन्निकटता एवं इस बात की है कि नक्शे में उक्त भूमि को एक दूसरे स्थान पर दर्ज कर दिया गया है । इन समस्त तथ्यों के सन्दर्भ में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया

जाकर निर्णय किया जाना न्याय के मौलिक सिद्धान्त ''किसी को भी बिना सुने दण्डित किया जाना उचित नहीं हैं'' के विरूद्ध है अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देकर ही निर्णय पारित करना चाहिये था । अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दूषित होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में इस न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने के एक माह के भीतर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देकर व अन्य आवश्यक हितबद्ध पक्षकार यथा ग्राम पंचायत आदि को सुनकर व आवश्यक समझे जाने पर मौका जांच करवाकर आख्यापक निर्णय पारित करें । सिगह न्यायालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली 07 दिवस में जरिये रजिस्टर्ड अधीनस्थ न्यायालय को भिजवा दी जावें तथा निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को भी भिजवायी जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्देशों की पालना में एक माह में प्रकरण में निर्णय पारित करें तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय तक उभय पक्ष आज निर्णय दिनांक की मौके की यथास्थिति कायम रखेंगे ।

उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक, विधिक एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखकर उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर वांछनीय होने पर जांच करवाकर आख्यापक एवं विधिसम्मत् निर्णय पारित करें । पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.08.2021 को उपस्थित हों ।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर